मानवाधिकारों की शिक्षा एवं विभिन्न योग्यता के विद्यार्थी

*सुजाता साहा**

मानवाधिकारों के प्रति चिंता आज मानव से संबंधित मुख्य मुद्दे के रूप में उभरी है। इसकी पृष्ठभूमि में अनेक कारण रहे हैं, जैसे-अंतर्राष्ट्रीय संगठन की गतिविधियाँ, मानवाधिकारों पर मीडिया का अत्यधिक ध्यान, वर्तमान विश्व में मानवाधिकार हनन की बढ़ती घटनाएँ और परिणामस्वरूप समस्त संसार में इन अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता। सभी मनुष्यों को मानवाधिकारों के संदर्भ में शिक्षित होना चाहिए। प्रजातांत्रिक और बहुसांस्कृतिक समाज में युवा पीढ़ी को बेहतर ढंग से तैयार करने हेतु भी इसके महत्व को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बाल अधिकारों से संबंधित विभिन्न कन्वेंशनों में भिन्न योग्यता के लोगों के शैक्षिक अधिकारों को सामान्य मनुष्य के अधिकारों के ही समान मान्यता दी गयी है। मानवाधिकार उपागम बच्चों को उनकी विकलांगता के आधार पर नामांकित नहीं करता। भिन्न योग्यता के बच्चों के अधिकार के रूप में शिक्षा को देखने पर ही समाज इन बच्चों की विशिष्ट योग्यताओं को समझ पायेगा। इस संदर्भ में इस प्रपत्र का मुख्य केंद्रबिन्दु भिन्न योग्यता के व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण हेतु मानवाधिकार की शिक्षा से संबंधित उद्देश्यों, सिद्धांतों और रणनीतियों का विवेचन करना है।

मानवाधिकार की अवधारणा

मानवाधिकार वे अधिकार हैं, जो किसी व्यक्ति को मनुष्य होने के कारण प्राप्त होते हैं। ये अधिकार हर व्यक्ति के होते हैं तथा बिना किसी भेदभाव के सभी मनुष्य इनका आनंद लेते हैं। ये उन सभी अधिकारों के आधारस्वरूप होते हैं, जो मनुष्यों को सम्मानपूर्ण जीवन जीने तथा उनके सर्वोत्तम संभव विकास हेतु आवश्यक होते हैं।

विश्व स्तर पर मानवाधिकारों की स्थापना के मूल में जो सिद्धांत क्रियाशील हैं उनमें से प्रमुख हैं-सभी व्यक्तियों की गरिमा को मान्यता, सांस्कृतिक भिन्नता को आधारभूत मानव-मूल्य मानना तथा सभी की मूलभूत समानता को सुनिश्चित करना।

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की प्रस्तावना में यह स्पष्टत: कहा गया है- *"मानव परिवार के सभी सदस्यों की सहज गरिमा तथा उनके समान एवं अपृथक्कनीय*

*सीनियर लेक्चरर, वसंत कॉलेज फॉर वीमेन, के.एफ.आई., राहघाट फोर्ट, वाराणसी 01, (उ.प्र.)

अधिकारों की मान्यता ही विश्व में स्वतंत्रता, न्याय एवं शांति का आधार है।"

मानवाधिकारों की शिक्षा एवं भिन्न योग्यता के व्यक्ति

यूनस्को की मानवाधिकारों एवं प्रजातंत्र संबंधी 'अंतर्राश्ट्रीय कांग्रेस' ने मार्च 1993 में कहा–

"मानवाधिकारों की शिक्षा स्वयं में एक मानवाधिकार है, जो सम्यक विकास, सभ्य समाज और लोकतंत्र की एक पूर्वावश्यकता है।"

मनवाधिकारों की शिक्षा के अंतर्गत नए ज्ञान एवं कौशल को प्रदान कर तथा अभिवृत्तियों को सकारात्मक रूप में ढालकर मानवाधिकारों की एक सार्वभौमिक संस्कृति निर्मित करना शामिल है। इससे मानवाधिकार-हनन की घटनाओं में कमी तो होगी ही न्याय एवं शांति से परिपूर्ण स्वाधीन समाज के निर्माण को भी बल मिलेगा।

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा (1995-2004) के दशक को 'संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार शिक्षा दशक' घोषित किया गया था। तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने ठीक ही कहा था–

"शिक्षा के बिना हम एवं अपने संकीर्ण परिवेश से बाहर आकर वैश्विक अंतर्निभरता की वास्तविकता का साक्षात्कार नहीं कर सकते। शिक्षा के अभाव में हम मानवीय लक्ष्यों और आकांक्षाओं की पहचान भी नहीं कर सकते।"

विकलांग व्यक्ति दूसरों की ही तरह मनुष्य होते हैं। वस्तुत: उनकी योग्यताएँ भिन्न प्रकृति की होती हैं। उनकी कुछ योग्यताएँ ऐसी हो सकती हैं, जो हम सबके पास भी नहीं होतीं। इसके बावजूद वे समाज के ऐसे अंग के रूप में देखे जाते हैं, जिनके अधिकार अत्यंत सीमित हैं।

"प्रत्येक मनुष्य समाज का ही एक अंग होता है और समाज तब तक विकास के अधिकतम स्तर को प्राप्त नहीं कर सकता, जब तक कि इन भिन्न स्वाभाविक योग्यता-संपन्न इकाइयों का भी पूर्ण विकास नहीं हो जाता। अत: इनकी स्वाभाविक योग्यताओं का अधिकतम संभव विकास करने, उन्हें उपयुक्त अवसर प्रदान करने, उन्हें उनकी भूमिकाओं के प्रभावपूर्ण निर्वहन के योग्य बनाने तथा उन्हें आत्मनिर्भर और सामान्य जीवन की ओर अग्रसर करने के प्रयास आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हैं।"

भिन्न योग्यता के व्यक्तियों के मानवाधिकारों के संरक्षण की घोषणा अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों में की गयी है। जैसे–

*संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों की घोषणा

"प्रत्येक बालक को शिक्षा का सहज अधिकार होता है ताकि उसके विकास को सुनिश्चित कर उसकी व्यक्तिगत संभावनाओं को पूर्ण किया जा सके।"

*बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अनुच्छेद 23)

"मानसिक अथवा शारीरिक रूप से विकलांग बालक वैसी, दशाओं में एक

पूर्ण और सम्मानजनक जीवन का आनंद ले सकता है, जो उसके महत्व को सुनिश्चित करते हैं, आत्मनिर्भरता को बढ़ाते हैं तथा समुदाय में उसकी सक्रिय सहभागिता को बढ़ाते हैं।"

सलामांका स्टेटमेंट 1994

"विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की पहुँच नियमित विद्यालयों तक होनी चाहिए, जहाँ बाल-केंद्रित शिक्षा विज्ञान के साथ उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।"

***विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार-संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995**

"विकलांगता से ग्रस्त 3 से 18 वर्ष के प्रत्येक बालक की निःशुल्क शिक्षा एवं शैक्षिक उपकरणों तक पहुँच होनी चाहिए।"

इन घोषणाओं के बावजूद वर्तमान परिस्थितियों में इन विशिष्ट समूहों के अधिकारों का हनन हो रहा है। अन्य बच्चों की तुलना में बाल्यावस्था के बाद उनके जीवित रहने की संभावना कम ही रहती है (जीवन के अधिकार का हनन)। शैशवावस्था में ही वे प्रायः या तो त्याग दिए जाते हैं या जीवनपर्यंत उपेक्षित रहते हैं अथवा बाद में उनका कोई पारिवारिक जीवन नहीं रहता। भिन्न योग्यता की लड़कियाँ अक्सर अपने परिवार में गंभीर भेदभाव भुगतती हैं। (पारिवारिक जीवन तथा क्रूरता एवं उपेक्षा के विरुद्ध संरक्षण के अधिकार का हनन)। ऐसे अनेक बच्चों को तब भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जब उनके साथ समाज, संस्था या अभिभावक, शिक्षक, सहपाठी आदि के रूप में हम समायोजन नहीं करते, बल्कि उनसे समायोजन की अपेक्षा करते हैं (भेदभाव न किए जाने के अधिकार का हनन)। नामांकन संबंधी कठोर नीति, विद्यालय भवन तथा कक्षाओं की असुविधाएँ, कठोर पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन संबंधी दोषपूर्ण कसौटी, अपर्याप्त संसाधन इत्यादि समस्याओं के कारण शिक्षा तक उनकी पहुँच अत्यंत सीमित होती है।

यदि हम भारत के भिन्न योग्यता सम्पन्न बच्चों की शैक्षिक दशा पर दृष्टिपात करें तो पाएँगे कि स्थिति बहुत सुखद नहीं है। यूनिसेफ के अनुसार, भारत में 0-14 वर्ष की आयु के बीच के लगभग 300 मिलियन बच्चे हैं। गैर-सरकारी सूत्रों के अनुसार, इन बच्चों के लगभग 10% की शैक्षिक आवश्यकताएँ विशिष्ट प्रकृति की हो सकती हैं। इस आधार पर भारत के लगभग 30 मिलियन बच्चे एक या अधिक प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त हैं। इनमें से मात्र 3% से 4% को ही सामान्य अथवा विशिष्ट शिक्षा का लाभ मिल पाता है। शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों की एक बड़ी संख्या बिना विशेष सहायता के ही विद्यालय जाती है। अधिगम विकलांगता से ग्रस्त बच्चों की भी यही स्थिति है। सहायता सेवाओं के बिना इनमें से कई बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं।

भिन्न योग्यता संपन्न व्यक्तियों के मानवाधिकारों को संरक्षित करने हेतु सर्वप्रथम उन्हें और उनके

सामान्य साथियों को उनके अधिकारों, संबंधित नियमों तथा विशिष्ट अवसरों के बारे में शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति को उनकी अपूर्व योग्यताओं, उपयुक्त पहचान स्थापित करने संबंधी उनकी संघर्ष–क्षमता तथा उनके जीवन की कठिनाइयों की जानकारी होनी चाहिए। हमारे प्रजातांत्रिक समाज में समानता एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने हेतु भिन्न योग्यता के व्यक्तियों के मानवाधिकारों के प्रति सजगता उत्पन्न करना अनिवार्य है। शिक्षकों को भी इस संदर्भ में प्रशिक्षित करना चाहिए।

भिन्न योग्यता के व्यक्तियों के मानवाधिकारों के शिक्षण की क्रमबद्ध विधि के अंतर्गत उपयुक्त अनुदेशनात्मक उद्देश्य, प्रभावपूर्ण अधिगम वातावरण प्रदान करने हेतु कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा शिक्षण संबंधी उपयुक्त रणनीतियों का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

भिन्न योग्यता के व्यक्तियों के विशेष संदर्भ में मानवाधिकारों की शिक्षा

धंद (2002) ने मानवाधिकारों की शिक्षा के त्रि–आयामी उद्देश्यों की चर्चा की है। भिन्न योग्यता के विद्यार्थियों की योग्यताओं एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु उन्हें परिमार्जित रूप में इस प्रकार ग्रहण किया जा सकता है–

ज्ञान के विकास से संबंधित उद्देश्य

(क) मानवाधिकार तथा अन्य संबंधित संकल्पनाओं (संप्रत्ययों) का विकास करना।

(ख) मानवाधिकार संबंधी दस्तावेजों जैसे– मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, तत्संबंधी अंतर्राष्ट्रीय निर्णय, सलामांका स्टेटमेंट तथा विकलांग व्यक्तियों संबंधी अधिनियम इत्यादि की समझ का विकास करना।

(ग) मानवाधिकार संबंधी संस्थाओं तथा भिन्न योग्यताओं के व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण तंत्र की समझ एवं तत्संबंधी जागरूकता का विकास करना।

उपयुक्त मूल्यों एवं अभिवृत्तियों के विकास संबंधी उद्देश्य

(क) दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों के प्रति सराहना एवं आदर–भाव का विकास करना।

(ख) मानवाधिकारों के सिद्धांत के साथ सहनशीलता एवं अन्य उपयुक्त व्यवहार एवं अभिवृत्तियाँ विकसित करना।

(ग) उन भिन्न योग्यता संपन्न व्यक्तियों के प्रति समानुभूति (empathy) का भाव प्रदर्शित करना, जिनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है।

(घ) आलोचनात्मक एवं वस्तुनिष्ठ चिंतन द्वारा पूर्वाग्रहों एवं भेदभाव की पहचान करना।

(ङ) सामाजिक न्याय एवं समानता जैसे प्रजातांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना।

(च) दूसरों के अनिवार्य महत्व तथा विकलाँग एवं सामान्य दोनों प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकताओं, अधिकारों, आकाँक्षाओं, व्यवहार तथा प्रतिभा के उन सामान्य पक्षों के प्रति सराहना–भाव का विकास करना, जो सभी मनुष्यों को परस्पर संबंधित करते हैं।

कौशलों के विकास संबंधी उद्देश्य

(क) अंतर्क्रिया तथा संप्रेषण के माध्यम से भिन्न योग्यता के व्यक्तियों को सम्मान देने संबंधी सामाजिक कौशलों का विकास करना।

(ख) भिन्न योग्यता के व्यक्तियों के मानवाधिकारों के संरक्षण तथा क्रियान्वयन के लिए मानवाधिकारों के उपकरणों तथा संस्थागत तंत्र का प्रयोग करना।

इस संदर्भ में मानवाधिकारों की शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत

भिन्न योग्यता के व्यक्तियों के संदर्भ में 'सबके लिए शिक्षा' के लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है, जब सामान्य शिक्षा प्रणाली को इन बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशिष्ट अध्यापकों की सहायता से सशक्त किया जाए। विकलाँग विद्यार्थी प्रभावपूर्ण वातावरण में अपनी संभावनाओं की मान्यता चाहते हैं। अतः शिक्षा संबंधी मानवाधिकारों को इन सिद्धाँत की नींव पर भी आधारित होना चाहिए।

- किसी न किसी रूप में हर बालक विशिष्ट होता है।
- सकारात्मक मूल्य प्रणाली एवं एक मानक के रूप में ऐसे मानवाधिकारों पर बल देना जिनसे सभी संबंधित हों।
- मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा से स्पष्टतः मुद्दों को परस्पर जोड़ना।
- इस विश्वास पर बल देना कि विकलांग अथवा सामान्य सभी व्यक्ति श्रेष्ठ निष्पादन कर सकते हैं तथा तत्संबंधी श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करना।
- वैसे क्रियात्मक आयामों को शामिल करना, जो सभी छात्र-सहभागियों को-चाहे वे भिन्न योग्यता के हों अथवा सामान्य-विद्यालय या समाज में उनके विश्वासों एवं समझ के अनुरूप कार्य करने के अवसर प्रदान करें।
- अधिगम की सहगामी विधियों का उपयोग करना।
- मानवीय गरिमा और न्याय के प्रति आदर प्रदर्शित करने वाला अधिगम वातावरण निर्मित करना।

मानवाधिकार की शिक्षा प्रदान करने हेतु रणनीतियाँ एवं विधियाँ

भिन्न योग्यता के व्यक्तियों के विशेष संदर्भ में मानवाधिकार की शिक्षा हेतु उपयुक्त रणनीतियों की सूची के अंतर्गत रोल प्लेइंग सिमुलेशन, केस स्टडी, विचार-विमर्श, खोज, ब्रेन स्टॉर्मिंग, मूल्य-विश्लेषण एवं स्पष्टीकरण, स्वतंत्र शोध, साक्षात्कार, सहयोगपूर्ण अधिगम, क्षेत्र भ्रमण एवं अतिथि वक्ताओं की वार्ताओं का आयोजन इत्यादि शामिल हैं। संपूर्ण विषयवस्तु एवं उपयुक्त शिक्षण-रणनीति के चयन हेतु अनेक कारकों पर विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए–

(क) अधिगमकर्ता की सांस्कृतिक एवं सामुदायिक पृष्ठभूमि, आवश्यकता, विकास एवं उपलब्धि का स्तर, उसकी योग्यता एवं सीमा

(ख) ज्ञान, मूल्य तथा कौशलों से संबंधित त्रि-आयामी उद्देश्य को अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत शामिल करना
(ग) पाठ्यक्रम की विषयवस्तु
(घ) सहभागियों की संख्या
(ड) कक्षा का वातावरण
(च) समय की उपलब्धता
(छ) रणनीति की प्रकृति एवं जटिलता
(ज) शिक्षक की योग्यताएँ एवं
(झ) सामग्रियों की उपलब्धता

पाठ्यसामग्रियों में विकलांगता को एक हीन अवस्था के रूप में प्रक्षेपित नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों की छवि का सही प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, ताकि सभी (सामान्य विद्यार्थी एवं आम जनता) उनकी सकारात्मक छवि निर्मित कर सकें।

विकलांगता से संबंधित सिमुलेशन अभ्यास के सशक्त शैक्षिक मूल्य हो सकते हैं। वे सामान्य लोगों की विशिष्ट आवश्यकता वाले व्यक्तियों की स्थिति समझाने हेतु उपयोगी साबित हो सकते हैं। विकलांगता की दशाओं को सिमुलेट करने हेतु सामान्य कक्षा के सामान्य बच्चों की आँखों पर कुछ समय के लिए पट्टी बाँधी जा सकती है, उनके कानों को प्लग किया जा सकता है, उन्हें बिना अंगूठे की सहायता के लिखने को कहा जा सकता है या बैसाखी के सहारे एक पैर पर चलने को कहा जा सकता है। इससे सामान्य विद्यार्थी परस्पर भिन्न प्रकृति की विकलांगता का अनुभव प्राप्त पाएँगे। साथ ही, वे विकलांग बच्चों की कठिनाइयों और विशिष्ट योग्यताओं को समझ पाएँगे। इससे ऐसे बच्चों के प्रति उनके मन में भी एक स्वाभाविक चिंता उत्पन्न होगी। इन क्रियाओं की सहायता से सामान्य कक्षा के भिन्न योग्यता के बच्चों का बेहतर समायोजन हो सकता है। शिक्षकगण भी विकलांगता की विभिन्न दशाओं को समझने के लिए इन सिमुलेटिंग क्रियाओं को उपयोग कर सकते हैं।

इस संदर्भ में कतिपय सुझाव

- शिक्षकों की सहायता करना तथा उन्हें विशिष्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं तथा पाठ्यपुस्तकों की सुविधाएँ उपलब्ध कराना। शिक्षकों को पुनर्वास के क्षेत्र की नवीन प्रवृत्तियों एवं मुद्दों से अवगत कराने हेतु उपयुक्त पाठ्यक्रमों का संचालन करना चाहिए।
- अनुभवों के आदान-प्रदान हेतु संबंधित संस्थाओं एवं विशेषज्ञों से संपर्क-स्थापन में सहभागिता करना।
- सामान्य जनता को सूचित, वितरित करने हेतु रेडियो एवं दूरदर्शन पर विशिष्ट आवश्यकता के व्यक्तियों के मानवाधिकारों पर कार्यक्रम प्रसारित करना।
- संबंधित गीत, वृत्तचित्र, नाटक, चलचित्र तथा कठपुतली-नाटिका तैयार करना।
- ग्रास रूट तक पहुँचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकने वाले स्थानीय प्रशिक्षकों को तैयार करना।
- भिन्न योग्यता के विद्यार्थियों की कठनाइयों का ध्यान रखते हुए समावेशित कक्षा के किसी भी पाठ के लिए शिक्षण-सहायक सामग्री तैयार करना।

- विद्यालय की इमारत का निर्माण करते समय विकलांगों की कठिनाइयों का ध्यान रखना।
- इस दिशा में मानवाधिकारों की शिक्षा प्रदान करते समय एक क्षेत्रीय नेटवर्किंग रिसोर्स सेंटर का निर्माण करना।
- आवश्यकता पड़ने पर भिन्न योग्यता के बच्चों के माता-पिता तथा समवयस्कों को निर्देशन एवं परामर्श सेवाएँ प्रदान करना।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः मैं यह अनुभव करती हूँ कि मानव मात्र के अधिकारों और उन अधिकारों के हनन पर काफी चर्चा की जा चुकी है, किंतु आवश्यकता इस चर्चा के बाद उभरकर आए उपायों के क्रियान्वयन की है। विकलांगता से ग्रस्त बच्चों के साथ उनकी शारीरिक-मानसिक भिन्नता के कारण भेदभाव नहीं करना चाहिए। वे हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं। उन्हें हमारी शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित करना चाहिए। समानता स्थापित करने के प्रयास अनुकूल अभिवृत्ति के साथ ही शुरु हो सकते हैं। ऐसी अभिवृत्तियों के विकास में शिक्षकों की निर्णायक भूमिका हो सकती है और हमें इस भूमिका का सफल निर्वाह करना है।

संदर्भ

1. कुंडू, सी.एल. 2000. *स्टेटस ऑफ डिसेबिलिटी इन इंडिया.* नई दिल्ली, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया
2. धंद, एच. 2000. *टीचिंग ह्यूमन राइट्स : ए हैण्डबुक फॉर टीचर एडुकेटर्स भोपाल:* आथर्स प्रेस
3. फ्लॉवर्स, एन.(सं.)1998. *ह्यूमन राइट्स हियर एंड नाउ. मिनिपोलिस :* एन.एन. ह्यूमन राइट्स: एडुकेटर्स नेटवर्क